

2024/268 D

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कूचामन राजस्थान
 राज. सरकार जरिये तहसीलदार नावां बनाम बन्ना पुत्र हनुमान जाति जाट वगै.
 सा. नावां तह. नावां सा. गोगौर तह. नावां

किस्म कुमदमां : 131, 132 आर.एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर 0/23/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
15.03.2024	<p>प्रार्थी तहसीलदार नावां ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोगौर पटवार हल्का इन्दोखा तहसील नावां के खसरा नम्बर 765/503 रकबा 2.55 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से 0.0216 हैक्टर, खसरा नम्बर 768/606 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से 0.0024 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/607 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से 0.0156 हैक्टर, खसरा नम्बर 766/503 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से 0.0216 हैक्टर, खसरा नम्बर 769/606 रकबा 0.14 किस्म बारानी-2 में से 0.0024 हैक्टर, खसरा नम्बर 772/607 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से 0.0156 हैक्टर भूमि वर्षों से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी-2 दर्ज हैं। इसलिए उपरोक्त खसरान की अंकित भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।</p> <p>निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(विश्वामित्र मीना)
 उपखण्ड अधिकारी, नावां
 जिला (डीडवाना-कूचामन)

